

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)****अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2024/128234/UNO/UNNAO/1027/CFO**दिनांक : **15-08-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SUPER INTERNATIONAL SCHOOL** पता **VILLAGE-KATRI PEEPER KHEDA,,LUCKNOW-KANPUR HIGHWAY TO LINK ROAD,UNNAO** तहसील - **UNNAO** प्लॉट एरिया **21478.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5351.00** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SUPER INT SCHOOL	2	0	8.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SUPER INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **21-08-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MOHD.SHAMSHER ALAM, abid.husain2728@gmail.com, 9919572728**, के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-08-2024** से **24-08-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUPER INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUPER INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** This Final Certificate is granted strictly on the basis of FSSO insp. report & his recommendations. This Fire Certificate is issued subject to sanctioning of the map by the licensing authority/local entity. As per instructions electricals safety certificate of the building from the concerned department should be taken prior to using of the building. In the month of Jan. and July submit the report of qualified agency also regarding working condition of fire installation measures in the Office of Fire dept. under Section 26(5) acc. to Act 2022, Non-compliance would lead to deemed cancellation of Fire Safety Certificate

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**Anoop Singh**

69AFE4B3BECEAEDD3AE98B5816C270D4B8D3C5A2

24-08-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **24-08-2024**स्थान : **UNNAO**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.